



मीरजापुर पुलिस —प्रेस नोट—



दिनांक: 29.12.2024

थाना लालगंज पुलिस द्वारा गो-तस्करी के अभियुक्त से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त (हिस्ट्रीशीटर) गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देश के जनपद में गो-तस्करी तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में दिनांक:29.12.2024 को थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-298/2024 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि. व 11 पशु क्रूरता अधि. में थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत दुबार ओवर ब्रिज के पास से शातिर गो-तस्करो (हिस्ट्रीशीटर) संजय कुमार भारती पुत्र रामवृक्ष निवासी ग्राम जमालपुर थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. संजय कुमार भारती पुत्र रामवृक्ष निवासी ग्राम जमालपुर थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास —

1. मु0अ0सं0-298/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0-207/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।
3. मु0अ0सं0-296/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गुण्डा एक्ट थाना पड़री जनपद मीरजापुर।
4. मु0अ0सं0-943/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।
5. मु0अ0सं0-64/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना लालगंज मय पुलिस टीम।

